

12/10  
23

आज यह पत्रावली प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तलब की गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र 212 RT Act में जागे कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं। प्रार्थी को सुना गया। हमने पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र बाबत कोई कार्रवाई नहीं स्वीकार किया जाता है। पत्रावली प्रार्थना पत्र 212 RT Act इसी स्तर पर शीप की जाती है। नम्बर से कम होकर बाद पूर्ण सलगन वाद-पत्र रहे। दि. 03/08/2023 की कार्रवाई को भी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है सुनाया गया।

  
उपसंहार अधिकारी  
कार्यालय (कोटपुतली-बलराम)